

FORM NO. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उपखण्ड अधिकारी
डूंगला बनाम डूंगला
 केस नं. 188 दिनांक 5/2020 सन्

तारीख हुकम नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

(2) श्री हुक्मीचन्द शिवा डेवीलाल गजराज निवासी संगेसरारखेदर

क्रमांक	रकबा	खिस्ता	उगान
256/2	0.2390	खु. 5	5.46
260/2	0.1560	खु. 2	2.77
263/2	0.0820	पडर (0.0690) शरणा (0.0130)	0.10
3	0.4770	-	8.53

श्री हुक्मीचन्द पुत्र डेवीलाल 1/2 निमला, शान्ता पुत्रि
 डेवीलाल 2/3 खिस्ता पूर्ण महाजरा सा संगेसरार

क्रमांक	रकबा	खिस्ता	उगान
256/3	0.1230	खु. 5	2.33
259	0.1390	खु. 5 (0.1140) खी-5 (0.0250)	2.70 0.06
260/3	0.1260	खु. 2	2.25
263/3	0.0380	पडर I	0.06
254	0.0510	शरणा	-
5	0.4770	-	7.40

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। डिमीपपि अलग से धारित हो।
 मिथि सुनाया गया पत्रावली फैसल सुमारबेक
 नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
 डूंगला



पर लेन के नदरा
 की अनुमति से विना निवृत्त
 तन (5 वर्ष से अधिक पुराना
 ले सकेंगे। यह समिति स्थाप
 त गठित होगी।
 किमी. राशि (रु.)
 1500 28900/-
 2000 34100/-
 2200 36100/-
 2500 39200/-
 चालन पर विभागाध्यक्ष और
 00 किमी. प्रतिमाह तक तथा
 0 किमी. तक 10.00 रु. प्रति
 ने के लिये सक्षम होंगे।
 आदेश दिनांक 3.10.2023
Intenance) मापदण्ड
 प्रति ग्रहन अनुक्षण
 की वार्षिक व्यय सीमा
 ए 75000
 रु 85000
 रु 100000
 दो भी अंक हो। आ.दि. 31.10.2022

अनुवृत्ति-IV
नियत पारिश्रमिक

Corresponding Level	Amount of Fixed Remuneration per month with effect from 01.1.2017
L-1	6
L-2	1
L-3	1
L-4	1
L-5	1
L-6	1
L-7	1
L-8	1
L-9	1
L-10	1
L-11	26
L-12	31100
L-14	39300
L-15	42500
L-16	47200
L-17	49700
L-18	52800
L-19	56000
L-20	62300
L-21	86200
L-22	90800
L-23	102000
L-24	104000